

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22062020-220078 CG-DL-E-22062020-220078

असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1751]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 19, 2020/ज्येष्ठ 29 , 1942
No. 1751]	NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 19, 2020/JYAISTHA 29, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2020

का.आ 1967 (अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3 उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं.का.आ. 689(अ), दिनांक, 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थातु:-

अनुसूची में, क्रम सं. 8 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात[.]-

ખવાલ્		
क्र.सं .	नया रारा सं .	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
(1)	(2)	(3)
28	9	पंजाब राज्य में मलौट के निकट रारा सं7 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर हरियाणा राज्य में डबवाली, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, हांसी, रोहतक, बहादुरगढ़, दिल्ली [रिंग रोड के पंजाबी बाग भाग को छोड़कर (पुराने रारा-10 का किमी 12.300) से निजामुद्दीन पुल रिंग रोड टी जंक्शन (पुराने रारा सं. 24 का किमी 0.00) और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में निजामुद्दीन पुल रिंग रोड टी जंक्शन (पुराने रारा सं. 24 का किमी 0.00) से दिल्ली/उत्तर प्रदेश सीमा (पुराने रारा सं. 24 का किमी 8.360) से डासना [दिल्ली/उत्तर प्रदेश सीमा को छोड़कर (पुराने रारा सं. 24 का किमी 8.360) से डासना (पुराने रारा सं. 24 का किमी 28.400)],

उत्तर प्रदेश राज्य राज्य में मुरादाबाद, रामपुर, बिलासपुर, रुद्रपुर, सितारगंज, खटीमा,
टनकपुर, पिथौरागढ़, ओगला को जोड़ते हुए और उत्तराखंड राज्य में असकोट के निकट
भारत/नेपाल सीमा पर समाप्त होने वाला राजमार्ग ।

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसआरओ 1180, दिनांक 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), दिनांक 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और अंतिम बार अधिसूचना संख्या का. आ. 175(अ), दिनांक 10 जनवरी, 2020 द्वारा संशोधित किया गया था।

[फा.सं. एनएच-14012/8/2020-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2020

S.O. 1967(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O 689(E), dated, the 4th April, 2011, namely:-

In the Schedule, for serial number 28 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
28	9	The Highways starting from its junction with NH-7 near Malaut in the State of Punjab connecting Dabwali, Sirsa, Fatehabad, Hisar, Hansi, Rohtak, Bahadurgarh in the State of Haryana, Delhi [except portion of ring road from Punjabi Bagh (km. 12.300 of old NH No. 10) to Nizamudin bridge ring road T junction (km. 0.00 of old NH No. 24) and Nizamudin bridge ring road T junction (km. 0.00 of old NH No. 24) to Delhi/ Uttar Pradesh border (Km.8.360 of old NH No.24) in the NCT of Delhi, Dasna [except from Delhi/ Uttar Pradesh border (Km.8.360 of old NH No.24) to Dasna (km. 28.400 of old NH No. 24)], Moradabad, Rampur, Bilaspur in the State of Uttar Pradesh, Rudrapur, Sitarganj, Khatima, Tanakpur, Pithoragarh, Ogla and terminating at Askot near Indo/Nepal border in the State of Uttrakhand.

Footnote:—The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India vide notification number S.R.O. 1180 dated 4th April, 1957 and was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 and last amended vide notification number S.O. 175 (E), dated 10th January, 2020.

[F. No. NH-14012/8/2020-P&M] RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2020

का.आ. 1968(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 19548 का 1956)1956 की धारा 2 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राजमार्ग को तत्संबंधी तदनुरूप स्तम्भ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करती है।

राजमार्गों, जिन्हें अब इस अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जाना है, को तालिका के स्तम्भ (1), (2) और (3) में यथा-निर्दिष्ट क्रमश: नई क्रम संख्याओं, नई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण के साथ उक्त अधिनियम की अनुसूची में अंत:स्थापित किया गया समझा जाएगा ।

तालिका

क्र.सं .	नई राष्ट्रीय	राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण
	राजमार्ग	
	संख्या	
(1)	(2)	(3)
		राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सराय काले खां (रिंग रोड) के निकट नया रारा सं9 (किमी
563	एनई-3	0.00) के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर यूपी गेट – विजयनगर (गाजियाबाद) – डासना –
		भोजपुर – परतापुर को जोड़ने वाला और उत्तर प्रदेश राज्य में मेरठ बाइपास पर रारा सं. 334
		(किमी 51.975) के साथ अपने जंक्शन पर समाप्त होने वाला एक्सप्रेसवे (निर्माणाधीन) ।

पाद टिप्पण: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में 4 अप्रैल, 2011 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ) के माध्यम से प्रतिस्थापित की गई थी और तदुपरांत इसे अधिसूचना संख्या का. आ. 175(अ), दिनांक 10 जनवरी, 2020 द्वारा संशोधित किया गया था।

[फा.सं. एनएच-14012/8/2020-पी एंड एम]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2020

S.O. 1968(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby declares each of the highways specified in columns (2) and (3) of the Table below to be a national highway.

The said highways, now declared to be national highways, shall be deemed to be specified in the Schedule to the said Act with the new serial numbers, the new national highways numbers and the description of the national highways thereof, as indicated in columns (1), (2) and (3) respectively, of the said Table.

New Serial No. National Highway Description of National Highways No. (1)(2)(3)The Expressway (under construction) starting from its junction with new NH No. 9 (Km. 0.000) near Sarai Kale Khan (Ring Road) in the NCT of Delhi 563 NE-3 connecting UP Gate-Vijay Nagar (Ghaziabad) - Dasana- Bhojpur -Partapur and terminating at its junction with new NH No. 334 (Km. 51.975) at Meerut Bypass in the State of Uttar Pradesh.

Footnote:—The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4th April, 2011 published in the Gazette of India, dated the 4th April, 2011 and subsequently amended vide notifications number S.O. 175 (E), dated 10th January, 2020.

[F. No. NH-14012/8/2020-P&M] RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

SCHEDULE